नीमका जेल: पोल खुली तो लुटेरा जेलर घबराया

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में नीमका जेल के जेलर अनिल की लूट मार की कुछ बानगी प्रकाशित की गयी थी। ज़िंदगी में शायद पहली बार सार्वजनिक रूप से हुई अपनी फ़जीहत से घबड़ा कर जेलर ने तुरन्त कैंटीन ठेकेदार द्वारा अमरपाल को हटा कर निहाल पहलवान (अजरोंदा वाले) को कैंटीन का ठेका सौंप दिया।

पाठक यह समझ लें कि जैसा उम्र-कैदी अमरपाल था, वैसे ही निहाल पहलवान हैं। यहां ठेकेदार के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। बीड़ी के 2000 बंडल जेलर बाज़ार से मंगवाकर ठेकेदार को दे देगा और शाम तक 200 रुपये प्रति बंडल के हिसाब से बिक्री करा कर शाम तक 4 लाख रुपये वसूल जेलर खुद कर लेता है। इसी तरह कोई भी सामान बाहर (बाज़ार) से मंगा कर, नाप-तोल कर ठेकेदार के हवाले कर दिया जाता है जिसे जेलर द्वारा बताये गये भाव पर बेच कर शाम तक लूट की रकम जेलर तक पहुंचा दी जाती है। इसमें कोई छोटी-मोटी डंडी, ठेकेदार एवं उसके नीचे काम करने वाले कारीगर व सेल्ज़मैन (कैदी) मार लें तो वह अलग बात है। मोटा माल तो जेलर ही जीमता है। कैदियों पर सख्ती दिखाते हुए जेलर ने कैंटिन का अधिकतर जरूरी सामान बन्द कर रखा है। केबल कुछ गिनी चुनी हुई वस्तुएं ही कैंटिन में उपलब्ध करायी जा रही है।

बैरकों में गिनती काटने के कारोबार की बदनामी से बचने के लिये फ़िलहाल जेलर अनिल ने एल्फ़ा-बैटिकल नियम लागू करने का दिखावा किया है। इस नियम के अनुसार कैदी के नाम के पहले अक्षर के क्रमानुसार बैरकों में स्थान दिया जायेगा; परन्तु इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मोटे पैसे लेकर फ़िर से कैदियों को इधर से उधर नहीं किया जायेगा।

3 मई 2017 को जेल का चार्य सम्भालने के तुरन्त बाद अनिल ने ज़िला पुलिस से विशेष आग्रह करके जेल में तलाशी अभियान चलाया था। इसके लिये डीसीपी बल्लबगढ़ विष्णुदयाल के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों ने सुबह-सवेरे गिनती खुलने के समय छापा मारा। दो-चार-नाम जद कैदियों की पूछताछ के नाम पर जम कर पिटाई भी की गयी, परन्तु सिवाय एक- दो मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ नहीं निकला।

विदित है कि खुद जेलर व डिप्टी जेलरों को छोड़ कर कोई भी जेल क्रमचारी बिना सधन तलाशी के जेल में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बावजूद जेल में 5-6 किलो सुल्फ़ा व अनेकों मोबाइल फ़ोन चलते हैं। यह सारी सप्लाई खुद जेलर व उसके चहेते कर्मचारियों की 'कमाई' का मोटा स्रोत है। सारी जेल को पता होता है कि कौन-कौन सुल्फ़े के कारोबार में व्यस्त हैं। और कौन-कौन मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हां जब कभी जेल स्टाफ़ को मोटी कमाई करनी हो तो इनमें से किसी एक को पकड़ लिया जाता है। एक मोबाइल फ़ोन पकड़े जाने का अर्थ जेलर की लाखों रुपये की कमाई होता है। दस-बीस हज़ार तो कैदी सार्वजनिक रूप से पिटाई न करने के ही दे देता है। दूसरे मोबाइल का मुकदमा दर्ज ना कराने के बदले 50 से 80 हज़ार तक (हैसियत के अनुसार) कैदी देकर अपनी जान छुड़ाता है। पकड़ा गया मोबाइल हज़ार से 20 हज़ार तक का जो भी होगा वह सीधे जेलर की जेब में। स्थानीय थाने में मुकदमा तभी दर्ज कराया जाता है जब कैदी के पल्ले कुछ न हो।

इतना ही नहीं जिस बैरक से फ़ोन पकड़ा जाता है उसके तमाम बीसियों कैदियों को उस बैरक से बेघर करके इधर-उधर दूसरी बैरकों में खदेड़ दिया जाता है। अपने बिस्तरे व अन्य सामान उठा कर नई जगह बसाना काफ़ी तकलीफ़देय होता है, खासकर तब जब नई जगह पर सोने के स्लैब (बैड) न मिले और धरती पर ही सोना पड़े। इस से दुखी होकर कैदी अपनी पसंद की सुविधाजनक बैरक में जाने के लिये उसे 5 या 10 हज़ार तक कुछ भी देने को मजबूर होते हैं।

जेलर अनिल ने मई में आते ही एक शगूफ़ा यह छोड़ा कि जेल की चक्कियों (8 बैड का एक सुविधाजनक कमरा जिसमें लैट्रिन, बाथरूम व किचन आदि होते हैं) में हथियार होने की आशंका ज़िला पुलिस ने जताई है। इसे बहाना बना कर उसने तमाम 34 चक्कियां खाली करा लीं। लेकिन तमाम कैदी इस महाचोर जेलर का खेल समझ गये थे। ये चक्कियां उसने फ़िर से बेचने के लिये ही खाली कराई थी और सभी चक्कियां 50 से 70 हज़ार रुपये में फ़िर से बेच दी। आठ बैड वाली इन चक्कियों में साधन समपन्न कैदी अपनी पसंद एवं मिजाज के 4-5 कैदियों के साथ इनमें सुविधापूर्वक रहते हैं।

पवन पुत्र जय सिंह ने जेलर की बदमाशियों व लूट-मार के खिलाफ़ मुख्यमंत्री विंडो सहित अनेक जगह दरखास्तें दी तो खानापूर्ति के नाम पर कुछ उच्चाधिकारी बयान लेने का नाटक व अपनी जेबें भर कर चले गये। उधर बदले की कार्यवाही करते हुए जेलर ने पवन की जम कर पिटाई करवाई और गत ढाई माह से काल-कोठरी में बंद कर रखा है। इस कोठरी में कैदी को नितांत अकेला रखा जाता है, उसे किसी इन्सान की शक्ल तक देखना नसीब नहीं होता। इसके अलावा और भी कई तरह से उसे टार्चर किया जाता है। कानूनी तौर पर एक कैदी को 28 दिन से अधिक इस काल कोठरी में नहीं रखा जा सकता, परन्तु इस जंगल में तो जेलर की ही पूरी गुंडागर्दी चलती है। इसी तरह के दबाव डालकर जेलर किसी भी शिकायतकर्ता से शिकायत वापस कराते हैं व अपने हक में मनचाहे बयान लिखवाते हैं। परन्तु पवन तमाम कष्टों को झेलने के बावजूद अपनी शिकायत एवं बयानों पर कायम है। इस जेल में पवन अकेला केस नहीं है, ऐसे और भी अनेकों केस हैं।

इस जेल में मौजूदा तैनाती से पूर्व अनिल पलवल की जेल पर तैनात था। जहां बमुश्किल 60-70 कैदी ही रहते हैं। छोटी जेल का जेलर होने के नाते अनिल के पास नाम मात्र का ही काम-काज था। कोई सिरदर्दी नहीं थी। रहने को वही सरकारी कोठी थी जो इसके पास अब है। उतना ही बेतन मिलता था जितना अब। लेकिन इस सबके बावजूद इसने नीमका जैसी बड़ी (2500 कैदियों वाली) जेल में आने के लिये आकाश पाताल एक कर दिये। कहीं बाबा रामदेव की सिफ़ारिश तो कहीं जेल मंत्री को मोटा भुगतान कराया। आखिर यह सब किस लिये? यह जेल मंत्री कृष्ण पवार मुख्यमंत्री खट्टर भी जानते ही हैं। जो जेलर एक तबादले के लिये करोड़ों खर्च कर रहा है। तो किस लिये?

जाहिर है किये गये खर्चे तथा अपनी जेब शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिये अनिल इस जेल में कुछ भी करेगा। वक्त कम है न जाने कब उससे भी बड़ी बोली देकर कोई उसे यहां से चलता कर दे। इसलिये वह कम से कम समय में, खट्टर व मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त राज में, अधिक से अधिक लूट कर लेना चाहता है। इसी उद्देश्य के चलते जेल में कैदियों का कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता, चाहे कस्टडी सर्टिफ़िकेट लेना हो, रिहाई का नक्शा बनवाना हो या माफ़ी चढवानी हो और तो और कैदियों को मिलने वाला मेहनताना भी उनके खातों में तब तक नहीं चढाया जाता जब तक भेंट-पूजा न हो जाय।

सरकार ने लिया संज्ञान

गतांक में 200 रुपये का बीड़ी बंडल बेचे जाने की खबर का संज्ञान लेते हुए जेल मुख्यालय से आदेश जारी हुआ है कि 200 रुपये का बीड़ी बंडल बेचने की यह लूट समाप्त करके 12/-रु. का बंडल बेचा जाय। परन्तु कहावत है चोर चोरी से जाय, हेरा-फ़ेरी से न जाय; इसी को चरितार्थ करते हुए महाचोर अनिल ने नाममात्र की बीड़ियां तो सरकारी भाव पर तथा शेष 80 प्रतिशत बीड़ी की बिक्री ब्लैक में 30/-रुपये प्रति बंडल के हिसाब से शुरू कर दी है।

रेलवे दुर्घटनाएं और राजनीति

पांच दिनों के अन्दर हुई दो रेल दुर्घटनाओं ने रेल सुरक्षा के ऊपर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। हालांकि इस बार रेलवे के बड़े अधिकारियों के ऊपर भी कार्यवाही की गई है। लेकिन उन कारणों को जानने की कोशिश नहीं की गई है जो दुर्घटना के लिये जिम्मेदार हैं। पिछली दुर्घटनाओं की जांच रपटों की सिफ़ारिशों पर भी अमल नहीं किया गया है।

रेलवे का गठन अंग्रेजों के समय में किया गया था और आजादी के बाद तक भी अपने उच्च तकनीकी कौशल और जवाबदेह संगठन के रूप में रेलवे अव्वल नंम्बर पर रही है। पुल, पटरियां, सिग्नल, इन्जन, कोच, स्टेशन आदि सभी के रख-रखाव के बिल्कुल साफ़ साफ़ नियम बने हुए हैं और हर अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेवारी साफ़-साफ़ तय है। फ़िर क्या कारण है कि रेल दुर्घटनाएं हो जाती है। और तकनीकी कारणों में जाये बगैर (जो इसी एक मुख्य कारण की उपज हैं) हम कह सकते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार इसका मुख्य कारण है।

रेलवे सरकार का इतना बड़ा विभाग है कि अभी तक उसका अलग से संसद में बजट पेश किया जाता था। और इस भारी-भरकम रकम में से जितना हो सके पैसा डकार जाना या फ़िर रेलवे के सिर पर बेगार डाल देना, हर सरकार की नीयत रही है। कमीशन खाने के लिये सारे सामानों की खरीदारी को अपने हाथ में रखने की हर रेल मंत्री की कोशिश रही है जिससे खरीदारी में देर होती है और नीचे पटरियों सिग्नलों, डब्बों ईन्जनों आदि का रख-रखाव करने वाले विभागों को समय पर पुर्जे नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से ये सभी मशीनें व पटरी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं।

मुख्यतया तीन राजनैतिक भ्रष्टाचार है जो रेलवे को डस रहे हैं और जिनके कारण रेलवे की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। पहला सारी खरीद के अधिकार ऊपर मन्त्रालय में ले लेना। दूसरा हर रेल मन्त्री द्वारा अपनी इलाकें में नई रेलें चलवाना और नये प्रोजेक्ट लगवाना-चाहे तकनीकी या वित्तिय कारणों से उस इलाके में उसकी जरूरत बिल्कुल ना हो। और तीसरा हर सरकार द्वारा रेलवे के फ्री के खसम पैदा करना। ध्यान देने योग्य बात है कि जितने भी फ्री पास या यात्रायें सरकार घोषित करती है उनकी भरपाई सरकार नहीं करती बल्कि रेलवे को अपनी जेब काटकर इन-एम.पी. एम.एल.ए., तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी, अमीर खिलाड़ियों आदि को फ्री में घुमाना पड़ता है जिस कारण से उसको अपने रख रखाव के बजट में कटौती करनी पड़ती है। इसी तरह गैर जरूरत के प्रोजेक्ट या गलत जगह लगाने से भी रेलवे को नुक्सान उठाना पड़ता है जिसकी भरपाई वह या तो रख-रखाव के बजट से काट के करता है या क्रमचारियों की संख्या में कटौती करके। दोनों ही विकल्प रेलवे सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा है। यहां यह तथ्य रखना वाजिब होगा कि रेलवे सुरक्षा और रख-रखाव से जुड़े लगभग 60 प्रतिशत पद खाली हैं। जब एक तरफ़ रखरखाव के लिये बजट ना हो और दूसरी तरफ़ स्टाफ़ ना हो और जरूरी पुर्जे उपर से मन्त्रालय खरीद कर न दें तो रेलवे की दुर्घटनाओं के लिये किसे जिम्मेवार माना जाये। इन्जीनियरों/कर्मचारियों को कि मन्त्री को। ऊपर से किसी-किसी रूट पर इतनी ट्रेनें चला दी गयी हैं कि रख रखाव का समय निकालना मुश्किल हो गया है।

इसलिये जरूरी है कि इस राजनैतिक भ्रष्टाचार को खत्म किया जाये। सबसे पहले खाली पड़े सबसे नीचे के पदों को भरा जाये। रख-रखाव पर बजट को बढाया जाय ताकि घिस चुकी पटरियों और डब्बे के पहियों, सिग्नलों आदि को बदला जा सके। और सारे फ्री पास या तो बन्द किये जाये या फ़िर मेट्रो की तर्ज पर सरकार उनके पैसे दे नाकि रेलवे, तभी जवाबदेही बढेगी और रेलवे सुरक्षा भी।

-अजातशत्रु

रिश्वत के 25 लाख जज तक पहुंचे या बिचौलिये डकार गये

करनाल की कोठी नं. 990, सेक्टर -9 जहां रकम पहुंची

पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बिचौलिया विरेन्द्र लाम्बरा

करनाल-फ़रीदाबाद (म.मो.) **'मज़दूर मोर्चा'** सम्पादक सतीश कुमार व उनके दो सह-अभियुक्तों की करीब 6 माह से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई 31 मई 2017 को यकायक रोक दी गयी थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास आई एक गुमनाम शिकायत में कहा गया था कि इस केस में जमानत कराने हेतु संबंधित जज साहब को 25 लाख रुपये देने का सौदा हुआ है। सुनवाई रोक कर 25 जुलाई की तारीख लगा दी गयी।

इस पर सतीश की ओर से मुख्य न्यायाशीश को जेल से ही 24 जून को एक विरोध पत्र लिखा गया जो कि ज्यों का त्यों 'मज़दूर मोर्चा' के गतांक में प्रकाशित किया गया है। केस की आगामी सुनवाई से मात्र एक दिन पहले यानी 24 जुलाई को पता चला कि सुनवाई करने वाले पुराने जज से केस लेकर नये जज को दे दिया गया है। नये जज द्वारा तीनों की जमानत भी मंजूर हो गयी।

जमानत तो हो गयी लेकिन हाई कोर्ट ने उस गुमनाम पत्र व उसमें लगाये गये आरोपों की कोई जांच शायद नहीं कराई। परन्तु 'मज़दूर मोर्चा' ने अपने स्तर पर पूरे मामले की खोजबीन शुरू कर दी। पाया गया कि सह अभियुक्त अशोक मित्तल के बेटे नरेश व भाई ने फ़रवरी 2017 में पूर्व जज को रिश्वत देने की योजना बनाई थी। उसी योजना के तहत अशोक मित्तल का हाईकोर्ट में वकील नरूला की जगह घई को बनाया गया था।

कहां क्या खिचड़ी पकी इसका तो पूरा ब्योरा नहीं मिल सका लेकिन 25 जुलाई को नरेश मित्तल अपने चाचा व ड्राइवर के साथ अपनी एन्डेवर कार नं. एच आर 51 बी.एन. 8041 से 25 लाख रुपये लेकर हाई कोर्ट के लिये रवाना हुए थे। रकम रास्ते में मॉडल टाउन करनाल मकान नं.155-एल में छोड़ दी गयी थी। जमानत का फ़ैसला अपने हक में सुनने के बाद 26 जुलाई को वापसी में दोपहर करीब 2 बजे यह रकम मॉडल टाउन से उठा कर मकान नं. 990 सेक्टर, 9 करनाल निवासी विरेन्द्र लाम्बरा के हवाले कर दी गयी।

पानीपत के निकट गांव बनाना के रहने वाले लाम्बरा का मुख्य धंधा काले तेल का बताया जाता है। लेकिन राजनेताओं से नज़दीकियां बनाना व ले-देकर लोग़ों के अटके काम कराने के लिये भी उन्हें जाना जाता है।

बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इतनी बड़ी रकम किसी जज तक भी पहुंची या बिचौलिये ही डकार गये। वैसे साधारण समझ से देखा जाय तो जमानत करने वाले नये जज महोदय से सौदा होने के आसार दिखते नहीं। क्योंकि फ़ैसले से मात्र चन्द घंटे पहले ही तो पता चल पाया था कि केस किसकी अदालत में लगेगा। फ़िर भी रकम तो किसी न किसी जज के नाम पर ही निकली है इसलिये जांच कराना तो बनता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06